



ज्ञान शांति मैत्री



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

दूरभाष / Phone : +91-7152-230902

डॉ. धरवेश कठेरिया
Dr. Dharvesh Katheriya
कुलसचिव
Registrar

क्रमांक : 34/2023-24/Quarter Allotment/29-30/ 59
दिनांक : 10.05.2024

सूचना

विश्वविद्यालय के सम्स्त रहवासियों को सूचित किया जाता है MSEDCL/MSEB द्वारा दिनांक 01.04.2024 से घरेलू उपयोग में आने वाली बिजली की दर में निम्नानुसार वृद्धि की गई है:-

वर्ग/प्रकार	Fixed Charges	ऊर्जा शुल्क (Energy Charges)	वहन आकार (Wheeling Charges)	इं.स.आ.	विद्युत शुल्क (Electricity Duty)
LT-1	₹ 128		₹ 1.17 प्रति यूनिट		16% of F.C. + E.C. + W.C. + इं.स.आ.
1-100 यूनिट		₹ 4.71 (प्रति यूनिट)		₹ 0.25 (प्रति यूनिट)	
101-300 यूनिट		₹ 10.29 (प्रति यूनिट)		₹ 0.45 (प्रति यूनिट)	
301-500 यूनिट		₹ 14.55 (प्रति यूनिट)		₹ 0.60 (प्रति यूनिट)	
Above 500 यूनिट		₹ 16.64 (प्रति यूनिट)		₹ 0.65 (प्रति यूनिट)	

उक्त के आलोक में MSEDCL/MSEB द्वारा वृद्धि की गई उपर्युक्त बिजली की दरों को दिनांक 01.04.2024 से विश्वविद्यालय के आवासों हेतु लागू किया जाता है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जा रहा है।

10/05/24
(कुलसचिव)

प्रतिलिपि:

- माननीय कुलपति महोदय की ओर सूचनार्थ।
- वित्ताधिकारी
- प्रभारी लीला (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
- कुलसचिव कार्यालय
- संबंधित फाइल